P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika
E: ISSN NO.: 2349-980X Vol-III* Issue-VI* February-2016

गांव तथा किसान की उपेक्षा क्यों?

कमल कुमार भड़िया
व्याख्याता,
राजनीति विज्ञान विभाग,
राजकीय कन्या महाविद्यालय,
सीकर, राजस्थान

सारांश

आजादी मिलने के बाद देश के शीर्ष नेतृत्व ने उद्योग जगत तथा कृषक समुदाय में सामंजस्य बिठाया। किसानों को अन्नदाता समझकर उन्ह उचित सम्मान दिया। धीरे–धीरे, स्थिति में बदलाव आया। देश के प्रति किसान की निर्मल सेवा पर सरकार के दमनकारी तथा अतिवादी विचार भारी पड़ने लगे। उनकी निष्ठा और ईमानदारी का मजाक उड़ाया जाने लगा। उद्योगों के लिए उनकी उपजाऊ भूमि ली जाने लगी। भूमि से बेदखल किसानों की आत्महत्या तथा गांवो के उजड़ने का सिलसिला शुरू हुआ। इस भयावह स्थिति से निपटने के लिए वर्तमान नेतृत्व को गांव तथा कृषक समुदाय की सुध लेनी होगी। गांवों में अत्याधुनिक सुविधायें उपलब्ध कराने तथा कृषकों के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं किया गया तो स्थिति विस्फोटक हो सकती है।

मुख्य शब्द : बदहाल अन्नदाता, भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, शौचालय, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक वर्चस्व।

प्रस्तावना

सन् 1947 में सत्ता संभालते ही राष्ट्रप्रेमी नेताओं ने दिव्य सामाजिक कार्यों के बहाने उद्याग जगत तथा कृषक समुदाय में सामजस्य बिठाया तथा देश को दिशा देते हुए आगे बढ़ते चले गये। बांधो, भारी उद्योगों, प्रयोगशालाओं, अस्पतालों, तकनीकी संस्थानो तथा विश्वविद्यालयो की स्थापना की गई। श्रेष्ठ गुणवत्ता का प्रदर्शन हुआ। इन सबके लिए भूमि आवटित की गई। छुटपुट विरोध को छोड़कर स्थिति भयावह नहीं हुई। कृषक समाज के प्रति आदरभाव बना रहा। 1947 में विभाजन के समय भारत सरकार द्वारा पंजाब में मुसलमानों द्वारा छोड़ी गई 19 लाख हैक्टेयर भूमि सिख शरणाथियों में बांटी गई। सरकार द्वारा शरणार्थियों को यह नहीं कहा गया कि भूमि चाहिए तो पाकिस्तान चले जाओ। 1948 में शेख अब्दुल्ला द्वारा 40000 एकड़ भूमि भूमिहीनों में बांटी गई। यह भूमि जागीरदारों से ली गई थी। 5 लाख हैक्टेयर भूमि किसानों को उतर भारत के तराई क्षेत्र तथा पश्चिमी घाट की पहाड़ियों की तलहटी में निःशुल्क आवंटित की गई। विभिन्न राज्यों में हदबन्दी कानूनों के लागू होने के परिणाम स्वरूप अतिरिक्त घोषित 50 लाख एकड़ भूमि तथा भूदान आंदोलन के तहत दान में मिली 8 लाख 72 हजार एकड़ भूमि भूमिहीनों में बांटी गई। 1956 तक अधिकांश राज्यों में बन चुके जागीरदारी उन्मूलन कानून किसानों के लिए वरदान साबित हुए। जागीरदारों को मुआवजा मिला, किसानों को खेत का मालिकाना हक मिला। मुआवजे बाबत होने वाले विवाद तात्कालीन प्रधानमंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू तथा उसके मंत्रीमण्डल के सहयोगियों द्वारा निपटा दिये गये।

1956 में पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था "हम चुनिंदा लोगों के साथ नहीं बल्कि भारतीय आम जनता के साथ–साथ चलने वाले यात्री हैं। अतः संसद ऐसा कानून बनाये जिसे जनता का विशाल हिस्सा उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो। आम जनता के प्रति नेहरू की प्रतिबद्धता अतुलनीय और सर्वांगीण थी।

उद्देश्य

भारत सरकार को स्मरण कराना कि अन्नदाता कहे जाने वाले किसान की आर्थिक स्थिति सुधारे बिना भारत जैसे कृषि प्रधान दश की अर्थव्यवस्था सुधार नहीं सकती। यह सर्वविदित है कि ओद्योगिक उत्पादन आज की महती आवश्यकता है। अतः उद्योग जगत एवं कृषक समाज में सामंजस्य बिठाना जरुरी है।

यह कैसी विडम्बना है कि आजादी के तुरन्त बाद बनी सरकारों में किसानों का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत बहुत कम था फिर भी किसानों को अन्नदाता मानकर उन्ह उचित सम्मान दिया गया। उतरोत्तर काल में देश की चुनी हुई सरकारों में गांव के किसानों का प्रतिनिधित्व बढ़ता गया और अन्नदाता कहे जाने वाले किसानों को मिलने वाले सम्मान में कमी आती गइ। किसानों के ये प्रतिनिधि उनको मिलने वाली सुविधाओं का उपभोग करने में डूबते गये, अपना

अस्तित्व खोते गये और किसानों के शोषण तथा बेदखली का इतिहास बनता गया। बीते कुछ सालों से किसानों के साथ बड़ा क्रूर मजाक किया जा रहा है। सन् 1951–52 में कृषि पर कल बजट का 13.5 प्रतिशत हिस्सा आवटित हुआ था जो घटकर अब सिर्फ 3.5 प्रतिशत रह गया है। कृषक के पास उपलब्ध कृषि योग्य भूमि का 70 प्रतिशत सूखा प्रभावित है, 12 प्रतिशत बाढ़ तथा 8 प्रतिशत साइक्लोन जोन में है। किसान बंजर, उबड़ खाबड़, पथरीली, पठारी तथा रेतीली जमीन को फसल पैदा करने योग्य तैयार करता है, सरकार उद्योगपतियों के लिए अधिग्रहण कर लेती है। उद्योगपतियों द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए कोड़ियों के भाव से अधिगृहीत बगैर इस्तेमाल पड़ी भूमि को थोड़े समय बाद बहुत ऊँची कीमत पर बाजार में बेच दी जाती है। आज अधिग्रहण कर उद्योगपतियों को दी गई भूमि का 45 प्रतिशत हिस्सा बगैर इस्तेमाल पड़ा है। उद्योगपति इसे बेच कर पैसा कमा लेता है, किसान आत्महत्या कर लेता है, सरकारों में बैठे लोग मनवांच्छित टिप्पणियां करते रहते है। इन लोगों की असंयत भाषा तथा कटुक्तियां किसानों के जले पर नमक छिड़कने का काम करती है। अधिगृहीत भूमि पर औद्योगिक उत्पादन के स्थान पर बहुमंजिले रिहायसी भवन, तरणताल, सत्संग भवन तथा निजी स्कूल व अस्पताल बना लिये जाते है। भूमि अधिग्रहण कानून के पास हो जाने के बाद की स्थिति का आकलन करना बड़ा मुश्किल हैं। कानून के पास हो जाने के बाद किसानों को अधिगृहीत भूमि के मुआवजे बाबत् न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होगा। किसान के लिए यह स्थिति आपातकाल की स्थिति से भी ज्यादा भयावह होगी। उसे न्याय पाने के मौलिक अधिकार से वंचित कर दिया जायेगा। किसान विकराल दरिद्रता का शिकार हो जायेगा।

ऐसी स्थिति में किसान कैसे चुप बैठा रह सकता है। इतिहास गवाह है कि किसान अपनी उग्र प्रतिक्रिया उस समय देता है जब वह चारों ओर घिर जाता है। 1789 की फ्रांस की क्रांति के पीछे किसानों का हाथ था। 1917 की रूस की क्रांति के पीछे भी किसान ही थे। भारत में भी अंगजों के शासनकाल में कई सफल किसान आंदोलन हुए थे।

किसानों ने सम्मान से जीना सीखा है। उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने वालों को या तो उन्होने सबक सिखाया है या स्वयं ने मृत्यु का वरण करना ठीक समझा है। हाड़ौती (राजस्थान) के एक किसान की बर्बाद हुई फसल का मुआवजा देने गये नेता से किसान ने मुआवजा लेने से इन्कार करते हुए कहा था "मैं मर रहा हूं जब जनता बेहोश है और तुम उस समय मारे जाओगे जब जनता होश में आयेगी। मुझे यकीन है कि मेरे संकट सहने से ही एक अत्यन्त जाज्वल्यमान अध्याय की शुरूआत होगी।" यह किसान की बेबसी तथा सरकार के अंहकार पर सटीक टिप्पणी थी। किसान ने आत्महत्या कर ली क्योंकि बर्बाद हुई फसल के अनुपात में दिया जाने वाला मुआवजा अत्यल्प था। फिर भी नेताओं द्वारा असंयत भाषा का प्रयोग बदस्तूर जारी है। यह सरकार के कम होते प्रभाव और प्रतिष्ठा का सकेत है कि विधायक, सांसद और मंत्रीगण इतनी आसानी से वक्तव्य दे देते है या फिर राजनेताओं का उन्माद भरा व्यवहार स्वयं सरकार के इशारे की देन है। कुछ भी हो ऐसा व्यवहार स्वाभिमानी कृषक समुदाय के प्रति नेताओं के परिपक्व दृष्टिकोण की कमी दर्शाता है।

यदि किसान को बचाना है तो आज आवश्यकता है जर्जरित कृषक समाज को उसकी असहनीय गरीबी से छुटकारा दिलाकर उसके सामाजिक जीवन को प्रशस्त, मजबूत तथा ठोस बनाने के प्रयास करने की। अविरत तथा कर्मरत अन्नदाता की दुरावस्था को पराजित कर देश के स्वाभिमान को बचाने की। परिश्रम, कष्ट तथा लम्बे संघर्ष बाद पैदा किये जाने वाले अन्न का वाजिब मूल्य दिलाने बाबत व्यवस्था करने की। फसल खराब होने अथवा भूमि अधिग्रहण करने पर पूरा मुआवजा दिलाने के चिर स्थायी नियम बनाने की। मुआवजा देते समय जनोत्तेजक वातावरण बनाने वालों पर कठोर कार्यवाही करने की।

कृषि की उपेक्षा किये जाने के कारण हर दिन 2500 किसान कृषि कार्य छोड़ रहे हैं। चेहरे पर उदासी, कृषकाय शरीर, बोझिल वातावरण तथा गुमशुदा जीवन इन किसानों की पहचान रह गई है। देश के इस सर्वाधिक पवित्र अमानत की स्थिति प्राकृतिक आपदा तथा शासन की उदासीनता के कारण बहुत उतेजक बनी हुई है क्योंकि अव्यावहारिक दल के रूप में ये असंगठित एवं शक्तिहीन हैं। इन्हे बचाना होगा अन्यथा खाद्यान्न संकट आसन्न है।

अस्सी के दशक में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने गांवो में शौचालय बनाने की वकालत की थी। उनकी पीड़ा थी कि गांवों में औरते खुले में शौच के लिए जाती है, जो लज्जास्पद तथा कष्टदायक है। उस समय राजनीतिज्ञों तथा बुद्धिजीवियों ने इस प्रगतिशील सोच का मजाक उडाया था। उस समय किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि चौधरी साहब का यह विचार आने वाले दिनों में इस मुल्क की आबादी की संरचना, अर्थव्यवस्था तथा संस्कृति पर इतना गहरा प्रभाव डालेगा। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शौचालयों तथा सफाई की अहमियत समझी है। शौचालयो के निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है। खुले में शौच करना सांस्कृतिक प्रदषण माना गया है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शौचालयों के निर्माण हेतु आर्थिक मदद दी जा रही है। लेकिन दुःखद सत्य यह है कि गांवों में इस अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार की ओर से कोई भावनात्मक तथा दिल को छूने वाली नजीर पेश नहीं की गई। यह उच्चवर्गीय प्रतिक्रियावादियों की राजनैतिक विपन्नता को दर्शाता है।

अन्तराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, 2015 को देश के 650 जिलों तथा दुनिया के कई देशों में बहुचर्चित योग कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। लेकिन वास्तविकता यह है कि यह कार्यक्रम शहरों का कार्यक्रम होकर रह गया। गाधीजी का गुणगान करने वाली सरकार गांधीजी की विचारधारा का अनुसरण करती नजर नहीं आती। गांधीजी कहा करते थे कि भारत की आत्मा उसके गांवों में निवास करती है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह भी यह कहा करते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहानों तथा गावों से होकर गुजरता है। आज देश की करीब 70

प्रतिशत आबादी गावों में बसती है। गांवों से चुनकर आने वाले विधायकों और सांसदों में से अधिकांश ने गांवों में जाना ही छोड़ दिया। सरकार की ओर से इन्हे गांवों में जाने की हिदायत दी नहीं गई। अपनी ओर से कोई राय देने की हिम्मत कर अलग प्रभाव पैदा करने की हैसियत इन लोगों में है नहीं। चुनकर आने वाले सभी लोग छोटी–छोटी उपलब्धियों से संतुष्ट होने वाले आत्मकेन्द्रित लोग है।

25 जून, 2015 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तीन महत्वपूर्ण परियोजनायें लाँच की। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 100 स्मार्ट सिटी बनेगे। इन पर 48000 करोड़ रूपये खर्च होंगे। एक लाख तक की आबादी वाले 500 कस्बों व शहरों को विकसित किया जायेगा। इनके विकास पर 50000 करोड़ रूपये खर्च होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए दो करोड़ मकान बनेंगे। तीस प्रतिशत शहरी आबादी के जीवन स्तर सुधारने की बात कही गई। सतर प्रतिशत ग्रामीण आबादी के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। शून्य से सतर डिग्री नीचे तापमान वाले 21000 फुट की ऊँचाई पर स्थित दुर्गम सीमा क्षेत्र सियाचिन म सीमा प्रहरी के रूप में मुस्तैदी से खड़ा रहने वाला जवान तथा धना सेठों के कारखानों में दिन और रात काम करते हुए फटेहाल रहने वाला मजदूर गांव के किसान अथवा मजदूर का बेटा है न कि शहर के किसी शिक्षाविद, न्यायविद, पूँजीपति अथवा उद्योगपति का। अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, तूफान, सुनामी, बाढ़ अथवा भूकम्प की परवाह किये बिना दिन की तेज धूप तथा रात की बर्फानी ठंडी हवा में खड़ा रहकर अन्न पैदा करने वाला किसान किसी गांव का रहने वाला है। उसका गांव स्मार्ट क्यों न बने? उसका गांव अमृत गांव क्यों न बने? उसके लिए मकान क्यों न बने? उसके गांव को शिक्षा, चिकित्सा, पानी, बिजली, सड़क जैसी आधुनिक सुविधाएं क्यों ने मिले? उसके गांव में शौचालय क्येां नहीं बने? योग के माध्यम से उसके गांव को स्वास्थ्य लाभ क्यों न पहुँचाया जाये ? वह अकेला ही कष्ट सहन के आदर्श का प्रतीक क्यों बने ? ये सभी प्रश्न अनुत्तरीत हैं।

इन प्रश्नों का हल खोजते समय द्वन्द्व के अवसर उपस्थित करने की क्षमता का परित्याग कर गांवों तथा शहरों में उपलब्ध सुविधाओं में सांमजस्य बिठाने के प्रयास करने होंगे। 28 जनवरी, 2016 को प्रथम चरण में 20 शहरों को स्मार्ट शहर बनाने का ऐलान किया गया है। अच्छा होता कुछ गांवों को भी स्माट गांव बनाने का ऐलान किया जाता। गांव, कृषि तथा कृषक देश के प्राण है। इनकी सुध लेना नेतृत्व की प्राथमिकता होनी चाहिए। सुविधाओं के अभाव में सन् 1991 से 2015 तक गांवों की 30 प्रतिशत जनसंख्या शहरो में पलायन कर चुकी है जिससे शहरों की भौगोलिक सीमा में खतरनाक स्तर तक वृद्धि हो रही है। यदि समय रहते स्थिति पर काबू नहीं पाया गया तो शहरों का वातावरण बोझिल हो जायेगा तथा गांव आक्रामक रूप से उजड़ जायेगा। यह स्थिति भयावह, घातक तथा विस्फोटक हो सकती है। सरकार को चाहिए कि ऐसा अवसर न आने दे जो परिश्रम, कष्ट तथा लम्बे संघर्ष से अर्जित की गई ख्याति व उपलब्धि को विनाश के ढेर में तब्दील कर दे।

निष्कर्ष

गावों तथा किसानों की दुर्दशा के लिए सरकारी प्रतिगामी कृषि नीति जिम्मेवार है। सरकार को प्राकृतिक आपदा से निपटने तथा किसानों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए ईमानदारी से अविलम्ब प्रयास शुरू कर देने चाहिए ताकि किसान सम्मानजनक जीवनयापन कर सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. आजादी के बाद का भारत – विपिन चन्द्र, मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी
2. भारत नेहरू के बाद – रामचन्द गुहा
3. भारत – गांधी के बाद – रामचन्द्र गुहा
4. प्रथम पंच वर्षीय योजना –
5. हिन्दुस्तान की कहानी – पण्डित जवाहर लाल नेहरू
6. कृषक मरणासन्न– देविन्द्र शर्मा, कृषि विशेषज्ञ
7. आजादी आधी रात को–डोमिनीक लापियर एवं लैरी कॉलिन्स
8. समाज के लिए खर्च बढ़े– वरूण गांधी सांसद